बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

बुधवार, तिथि २९ नवम्बर १९६१।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।
सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि २९ नवम्बर १९६१ को पूर्वाह्न १० बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL :

बिहार पंचायत समितिज एंड जिला परिषद्स बिल, १९६१ (१९६१ की बि० सं० ५)।

THE BIHAR PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS BILL, 1961 [L. A. BILL NO. 5 OF 1961].

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ६९ संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६९ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ७० संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७० विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—खंड ७१

*Shri RAM JANAM OJHA : Sir, I beg to move :

That sub-clause (2) of clause 71 be deleted.

Sir, sub-clause (2) reads thus :

"Any such member who fails to make and subscribe, within three months of the date on which his term of office commences or at one of the first three meetings held after the said date, whichever is later, the oath or affirmation set out in sub-section (1) shall cease to hold his office and his seat shall be deemed to have become vacant."

SPEAKER : If you read sub-section (1) you will find that "Every member of the Panchayat Samiti and of the Zila Parishad shall, before taking his seat, make and subscribe at a meeting of the Panchayat Samiti or, of the Zila Parishad, as the case may be, an oath or affirmation...."

श्री राम जनम ओझा—हुजूर, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि पंचायत समिति या जिला परिषद् का कम्पोजिशन जिस तरह का है उसमें सिर्फ एक्स-ऑफिशियो मेम्बर ही रहेंगे। अगर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के कोई सदस्य तीन महीने के अन्दर या पहली तीन बैठक जो भी बाद में हो, उसमें नहीं उपस्थित हो सके तो क्या होगा?

अध्यक्ष—आप इसके लिये एक प्रोवीजो दे सकते हैं कि सब-क्लॉज (२) एक्स-आफिशियो मेम्बर के लिए लागू नहीं होगा।

श्री राम जनम ओझा—जब तक आप रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स ऐक्ट में अमेंडमेंट नहीं करते हैं कि जहां तक लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के सदस्यों की बात है वे यदि पहली तीन मिटिंग नहीं भी अटेन्ड करेंगे तो उनको सदस्यता से डिबार नहीं किया जायेगा तब तक यहां सब-क्लॉज (२) कैसे फिट करेगा।

अध्यक्ष—हम समझते हैं कि यहां एक प्रोवीजो देने से काम चल जायेगा कि सब-क्लॉज (२) पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के सदस्यों पर अप्लाई नहीं करेगा।

श्री नवल किशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस मामले के बारे में हमलोगों ने छानबीन की है। इस धारा के अनुसार बात इतनी ही होती है कि तीन महीने के अन्दर या पहली तीन बैठक तक, जो भी बाद में हो, जो सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करेंगे उनकी मेम्बरशिप खतम हो जायेगी। जहां तक लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के सदस्यों का सवाल है, उनको मेम्बरशिप जो पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिव ऐक्ट के द्वारा प्राप्त हुई है, इस धारा से उस मेम्बरशिप पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस धारा का असर सिर्फ इतना ही पड़ता है कि यदि वे पहली तीन बैठक या तीन महीने के अन्दर पंचायत समिति या जिला परिषद् में शपथ नहीं ग्रहण कर लेंगे तो उनकी वहां की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

अध्यक्ष—मुझे ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए यह कुछ अपमानजनक होता है। उनको एक तो आपने बोट देने के अधिकार से वंचित किया है और दूसरा अपमान यह मालूम होता है कि आप उनपर तीन मिटिंग का प्रतिबन्ध लगा देते हैं। वे तो एक तरह से स्पेशल इनमाइटी हैं और अगर किसी वजह से वे उस समय को अवधि तक नहीं आ सके तो उनकी मेम्बरशिप सीज कर जायेगी, यह अच्छा नहीं मालूम पड़ता है। हम समझते हैं कि यदि "आप विदाउट एनी रिजनेबुल कौज" भी लिख देते तो अच्छा होता।

श्री नवल किशोर सिंह—हुजूर, जहां सभी सदस्यों को बात है वहां लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए डिसक्रिमिनेशन करना अच्छा नहीं लगता है।

अध्यक्ष—वोट के मामले में तो आपने डिसक्रिमीनेट किया ही है।

श्री नवल किशोर सिंह—अगर ऐसा रखा जाय कि अनएवॉयडेबुल रिजन से कोई नहीं आ सके तो उस डिसक्वालिफिकेशन को वेभ करने का अधिकार सरकार पर रहेगा तो हमको मानने में कोई उज्र नहीं है।

अध्यक्ष--यह अजीब तरह लगता है कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के सदस्य तीन महीने तक वहां के काम को छोड़कर नहीं आ सकें तो यहां उनकी मेम्बरशिप सीज कर जायेगी।

श्री नवल किशोर सिंह--इस सम्बन्ध में हम आपके ख्याल से पूरी सहमत हैं। मिसाल के तौर पर अभी महामाया बाबू विलायत में अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो अगर मजबूरी से नहीं आ सके तो इसके लिए कोई उपाय होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूँगा कि अभी आप इस सब-क्लॉज को पास होने दें और हमलोग इसपर विचार करेंगे और फिर जब दूसरा स्टेज आयेगा वहां इसपर संशोधन कर लेंगे। हम आश्वासन देते हैं कि दूसरे स्टेज में हमलोग इस पर विचार करेंगे। या तो माननीय सदस्य अभी संशोधन दे दें तो शीघ्रता हो जायेगी या नहीं तो इस समय अगर छोड़ दें तो हम आश्वासन देते हैं कि कंसिडरेशन के जो दूसरे स्टेजेज हैं उस समय हम इसपर विचार करेंगे।

*श्री रामानन्द तिवारी--अध्यक्ष महोदय, हमलोग जब निर्वाचित होते हैं तो उस वक्त आप नोटिस देते हैं कि अमुक डेट पर आप आयें और शपथ ग्रहण होगा उसके बाद काम होगा। जो सदस्य उस समय नहीं आते हैं वे जब पहले दिन प्रवेश करते हैं तो ओथ लेते हैं उसके बाद बैठते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि जब वे निर्वाचित हो गये तो फिर उनपर प्रतिबंध क्यों आप लगाते हैं कि यदि वे तीन महीना नहीं आयें तो फिर सरकार के पास आवेदन-पत्र दें और सरकार से अनुमति लेकर और ओथ लेकर तब बैठें। हम यह कहते हैं कि आप उन्हीं पर इसको क्यों नहीं छोड़ देते हैं कि जब वे आयेंगे तो ओथ लेंगे उसके बाद काम करेंगे। ज्यादा-से-ज्यादा आप यह कीजिये कि ओथ के पहले उसे मत बैठने दीजिये। लेकिन यह प्रतिबंध आप क्यों रखते हैं? वे भी जनता के वैसे ही प्रतिनिधि हैं जैसे हम विधायक हैं। वे छोटे दायरे में चुने जाते हैं तो उनपर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है।

श्री राम जनम ओझा--अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने जो कहा है वह सही है। सब-क्लॉज (३) में है कि:

> "No such member shall take his seat at a meeting of the Panchayat Samiti or of the Zila Parishad, as the case may be, or do any act as such member unless he has made and subscribed the oath or affirmation...."

हम समझते हैं कि यह ठीक है कि वह ओथ लेगा तब मेम्बर होगा, जबतक ओथ नहीं लेगा वह इफेक्टिव मेम्बर नहीं होगा। तिवारी जी ने पार्लियामेंट और असेम्बली का उदाहरण भी दिया है लेकिन आप ऐसा ऐनामोलस पोजीशन कर रहे हैं कि अगर ८० का हाउस है और उसमें १५ मेम्बर ओथ नहीं लें तो इसका मतलब यह है कि सीट खाली रहेगी और अगले एलेक्शन तक बजाय ८० के वह ६५ का हाउस रहेगा। कहीं भी जहां एक्स-ऑफिशियो मेम्बर की बात है ऐसी बात नहीं रखी गई है।

If one holds a particular office by virtue of another office he is holding, you should first control his first office before controlling the subsidiary office.

इसलिए मेरे ख्याल में यह बिल्कुल इल्लाजिकल है।

अध्यक्ष—हमें इसमें सरकार की राय पहले जान लेनी चाहिये।

श्री नवल किशोर सिंह—हुजूर, माननीय सदस्य एक पक्ष की बात कह गये और मैं उनकी भावना से सहमत भी हूँ। माननीय सदस्य दूसरे पक्ष की बात भूल ही गए कि अगर कोई एक्स-ओफोशियो मेम्बर खास करके वैसी मेम्बर जो विधान-सभा का, विधान-परिषद् का या लोकसभा का सदस्य हो तो वह जिला परिषद् की या पंचायत समिति की मीटिंग में भाग नहीं ले या दिलचस्पी उसके कामों में नहीं ले तो उसके लिए कौन-कौन-सी जिम्मेदारियां होंगी, क्या कानून होगा जिससे उसे मजबूर किया जा सके मीटिंग में दिलचस्पी लेने के लिए। ऐसी हालत में पिपुल्स रिप्रजेन्टेशन ऐक्ट या कंस्टीच्युशन के अनुसार कौन-सी मजबूरी हम लाद सकते हैं। माननीय सदस्य को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ओथ लेने से उनको डिगनीटी नीची होती है, उसमें प्रमुख ओथ लेंगे और दूसरे दूसरे लोग ओथ लेंगे इसलिये इसमें कोई हर्ज नहीं है।

अध्यक्ष—ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले जिला परिषद् की या पंचायत परिषद् की मीटिंग नहीं हो और जिस वक्त असेम्बली बैठे उसी वक्त वहां भी मीटिंग हो।

श्री नवल किशोर सिंह—हुजूर को मालूम होगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी की या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी की मीटिंग सत्र के चलते रहने पर शनिवार और एतवार को छोड़कर दूसरे दिन नहीं होती है।

मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इस पर हमलोग गौर करेंगे। मान लिया जाय कि कोई सदस्य बीमार पड़ जाय तीन महीने तक तो वह नहीं भाग ले सकेगा इसलिये एग्जामिन करना जरूरी है लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि अभी शीघ्रता की आवश्यकता है इसलिए वे इसे अभी छोड़ दें।

श्री राम जनम ओझा—मैं तो कहूँगा कि सरकार को जिद्द नहीं करना चाहिये और इसे मान लेना चाहिये।

श्री नवल किशोर सिंह—कौंसिल से लौटने पर भी मौका माननीय सदस्य को मिलेगा इसलिए अभी इसे छोड़ें।

श्री राम जनम ओझा—सरकार अभी भी कह रही है कि हम देखेंगे। लोगों को सरकार के यहां दर्खास्त देनी पड़ेगी उसमें सरकार देखेगी कि अनअवोएडेबुल रिजन है। इस संबंध में सरकार कह रही है कि जांच करेंगे....

अध्यक्ष—वे कह रहे हैं कि विचार करने का मौका मिलेगा तो गौर करेंगे।

श्री राम जनम ओझा—मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

सभा की राय से यह प्रस्ताव वापस किया गया।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड ७१ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७१ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि :

खंड ७२, ७३, ७४ तथा ७५ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७२, ७३, ७४ तथा ७५ विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि :

खंड ७६ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७६ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि :

खंड ७७ संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७७ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि :

खंड ७८ संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

*श्री कामदेव प्रसाद सिंह--मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध इसलिये करता हूँ कि इसमें है :

"The State Government may, either *suo moto* or on an application made by any person interested call for and examine the record of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad or of its Standing Committee in respect of any proceeding to satisfy itself as to the regularity of such proceeding...."

इसका मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको मोडिफाई कर सकती है और जरूरत पड़ने से नलीफाई भी कर सकती है। मैं समझता हूँ कि रेकर्ड के जांच करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए। कोई आदमी दर्खास्त देगा तो उसको दस रुपये के साथ देना होगा। यह पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिये चूंकि यहां जो डिसीजन होगा वह जनतांत्रिक प्रणाली से होगा। आज सरकार भी चाहती है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो तो फिर इतनी ताकत स्टेट गवर्नमेंट को क्यों देना चाहते हैं। सरकार इतना बड़ा पावर अपने हाथ में ले रही है यह उचित नहीं है। सरकार विकेन्द्रीयकरण के सिद्धांत को मानती है परन्तु इस मौजूदा क्लौज के रहने से यह बात खतम हो जाती है। सारी ताकत सरकार के हाथ में चली जाती है। यदि कोई साधारण आदमी सरकार के पास दर्खास्त देगा तो पंचायत समिति और जिला परिषद् के किये गये सभी कामों पर पानी फिर जायगा, इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसको डिलिट कर दिया जाय।

अध्यक्ष —मैं प्रश्न का जितना समय अभी ले रहा हूँ उतना समय प्रश्न में १२ बजे के बाद दे दूंगा।

*श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस ७८वें क्लॉज का विरोध करता हूँ। विरोध इसलिये करता हूँ कि सारे बिल में विकेन्द्रीयकरण की जितनी बातें की गई हैं वे सब इस एक क्लॉज के कारण खतम हो जाती है। जहां सरकार की गोटी नहीं बैठेगी, वहां सरकार एक साधारण आदमी के कहने पर जिला परिषद् और पंचायत समिति के किये गये कामों को लीप-पोत देगी। अच्छी-अच्छी बातें जो बहुमत से तय होंगी वे सब खतम हो जायेंगी। अगर कोई इल्लीगल काम होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट आदमी जा सकता है।

अध्यक्ष—अगर कोई नहीं जाय तब ?

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—इसका नतीजा होगा कि सरकार जैसा चाहेगी वैसा अध्यक्ष और प्रमुख को करना पड़ेगा। हमलोग देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सरकार कितना सड़ाकर नौमिनेशन भेजती है। जबतक सरकार के मन के लायक आदमी नहीं आते हैं तबतक सरकार नौमिनेशन नहीं करती है। यह क्लॉज छोटा है परन्तु इस सारे बिल में सबसे खतरनाक है। इसको हटा देना चाहिये। हमारे उप-मंत्रीजी बहुत प्रगतिशील हैं, इसलिये मैं उनसे दर्खास्त करता हूँ कि वे इसको हटा लें नहीं तो इस बिल का कुछ भी मतलब नहीं है। इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। हो सकता है कि संयुक्त प्रवर-समिति ने इसकी गंभीरता पर ख्याल नहीं किया है। यह बहुत घातक क्लॉज है। इसको हटा देना चाहिये।

श्री नवल किशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी प्रॉविजन पर बहुत-बड़ी बात कह दी गयी है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कोई अनोखी चीज बिहार राज्य में नहीं होने जा रही है जिसके लिये इतनी बड़ी बात कही गयी है। हमारे माननीय सदस्य जिन राज्यों में इस प्रकार के प्रोविजन की प्रशंसा करते अघाते नहीं हैं, जैसे आन्ध्र, राजस्थान आदि वहां भी इस विधेयक को पारित करते समय यह प्रावधान रखा गया है। आज कई दिनों के बाद हमारे माननीय सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद महथा सदन में पहुँचकर अपनी बहुमूल्य सहमति देने के लिये आये हैं, इसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है। उनको सलाह मुझे पिछले कई दिनों से नहीं मिल रही थी। माननीय सदस्य की मंशा है कि इसमें व्यक्ति को प्रधानता दी जाय।

इस धारा के अनुसार कोई नया काम सरकार देती है तो उसमें एक ही व्यक्ति का अधिकार रहता है। अगर किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् के काम से आपको आपत्ति है तो उसे आप समझें। पंचायत समिति या जिला परिषद् नाजायज कर रही है तो आपको अधिकार है कि हमारे पास आवें और कहें कि यह काम नाजायज है और इसमें . . . .

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—वह आपके पास क्यों आयेगा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या ?

श्री नवल किशोर सिंह—यह कोर्ट तो राजा महाराजा के लिए है गरीबों के लिये नहीं है, गरीब आदमी वहां नहीं जा सकते हैं। जुरीसप्रुडेन्स का यह प्रिन्सिपुल है

कि अगर कोई नाजायज काम को बहुत लोग मिलकर कर रहे हैं और उस काम से सभों को लाभ हो रहा है तो वह नाजायज काम अनुचित नहीं हो जायेगा। लेकिन अगर कोई समाज विरुद्ध काम हुआ है तो उसका अधिकार सरकार को रहेगा कि उसे रोके। इसे सुओ मोटो पावर माना जाता है। जबतक डाकू बटवारे में लड़े नहीं तो क्या उस वक्त तक पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहिये, यह कैसे हो सकता है। पंचायत समिति या जिला परिषद् यह काम कर रही है जिससे हमारा हनन हो रहा है, हमारी बुराई हो रही है तो यही एक धारा है जो एक व्यक्ति का अधिकार है कि वे अधिकार की मांग कर सके, यह अधिकार कंस्टीच्युशन से निश्चित किया गया है। इसलिये इस धारा का रहना आवश्यक है, इसको यहां रहना चाहिये।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ७८ संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७८ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ७९ संयुक्त-प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७९ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ८० संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८० विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—शिड्यूल

*Shri **CHANDRA DEO PD. VERMA**: Sir, I beg to move:

That after sub-clause (*n*) of clause 2 of the schedule of the Bill, the following new sub-clauses be added, namely :—

(*o*) Organise markets and manage sale and purchase of agricultural products,

(*p*) Credit and other facilities for development of irrigation and agriculture ;

(*q*) Protecting farmers from non-payment of agricultural products."

अध्यक्ष—आपने "नन-पेमेन्ट ऑफ एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट" दिया है, इसका क्या मतलब है?

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—इसका माने यह है ईख का दाम वगैरह नहीं मिलता है और आपको मालूम भी होगा कि ईख का दाम किसानों का बहुत बाकी है।

अध्यक्ष—तो आपने इसमें दिया क्यों नहीं।

श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा—हमने दिया होगा लेकिन टाइप में छूट गया मालूम होता है। खैर, हम आपके आदेश से जोड़ देते हैं।

अध्यक्ष—आप कैसे जोड़ सकते हैं। खैर हमने आपको एलाउ किया।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—असल में हम सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने जा रहे हैं उसमें खास विचार यह है कि उत्पादन बढ़े। इसलिए हम चाहते हैं कि ब्लॉक, जिला परिषद् या पंचायत समिति कृषि पैदावार को अपने पास खरीद कर रखे और उचित मूल्य पर बेचे। इसलिए हमने इसको मूव किया है।

श्री नवल किशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विचार बहुत उत्तम है। मार्केट को ऑर्गेनाइज करना, कृषि पैदावार का उचित मूल्य पर बिक्री करना और पैदावार बढ़ाने के लिए सुविधा प्रदान करना आदि, यह सब काम अच्छा है। आप शिड्युल के क्लॉज २(एम) को देखें। इसमें सिंचाई का काम है और कृषि के विकास का काम है वह सब कभर कर लेता है। इनका क्लॉज २(पी) हमारे एम के अन्दर आ जाता है। इनका सुझाव है कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो यह ठीक है। जो को-ऑपरेटिव संस्थायें होंगी या पंचायत समिति होंगी या ग्राम पंचायत होगा उन सबका काम यही होगा कि जितने उपभोक्ता होंगे, उनकी सहकारिता समिति बनाकर सुविधा दी जायगी। यह काम पंचायत समितियों को करना है। हमारी सहकारिता संबंधी जो नीति है वह सब इसके अन्दर चला आता है। दूसरी चीज जो उन्होंने नॉन-पेमेन्ट ऑफ एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट की कही है वह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि पंचायत समिति के पास इतना साधन नहीं है कि वे इसको कर सकें। इसलिये मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि जब उनकी दी हुई चीजें कभर हो जाती है तो वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है:

That after sub-clause (*n*) of clause 2 of the schedule of the Bill, the following new sub-clauses be added, namely—

"(*o*) Organise markets and manage sale and purchase of agricultural products;

(*p*) Credit and other facilities for development of irrigation and agriculture;

(*q*) Protecting farmers from non-payment of prices of agricultural products."

The motion was negatived.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

शिड्यूल, संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १ संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

प्रस्तावना, संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना, विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

नाम, संयुक्त प्रवर-समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम विधेयक का अंग बना।

श्री नवल किशोर सिंह—महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

इस सभा द्वारा यथासंशोधित बिहार पंचायत समितिज एँड जिला परिषद्स बिल, १९६१ स्वीकृत हो।

अध्यक्ष—अभी १२½ बजा है और मैं इसके लिये २ घंटे का समय रखना चाहता हूं, इस हिसाब से मैं समझता हूं कि ३½ तक यह चलेगा। अब कृपा करके माननीय सदस्य यह बतावें कि कौन-कौन माननीय सदस्य इसपर बोलना चाहते हैं। दो घन्टे का मतलब १२० मिनट हुआ जिसे मैं इंसाफ के साथ बराबर-बराबर बांट देना चाहता हूं।

(इस अवसर पर कुछ सदस्य खड़े हुए।)

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, हमलोग इस बेंच पर कुल ११ आदमी हैं।

अध्यक्ष—इसपर अब जिनको-जिनको बोलना है खड़े हो जायें।

(इस बिल पर बोलने के लिए ११ माननीय सदस्य खड़े हुए।)

अध्यक्ष—११ आदमी इस पर बोलना चाहते हैं। समय कम है इसलिये आपलोग ५-: मिनट बोलियेगा और जल्दी-जल्दी बोलियेगा। १५ मिनट सरकार के जवाब के लिये देता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार पंचायत समितिज एँड जिला परिषद्स बिल, १९६१ का जो थर्ड रिडींग में स्वीकृति के लिये माननीय उपमंत्री ने रखा है, मूलतः विरोध नहीं करता हूं लेकिन कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जिसका हमें

विरोध करना है। यह तो सही है कि जब देश में प्रजातांत्रिक है तो इस दृष्टिकोण से जिला परिषद् और पंचायत समिति का संघटन होना जरूरी है और इसका निर्माण होना चाहिये। विकास का काम इससे अच्छी तरह से चल सकेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्लॉजेज रखे गये हैं खास कर हम आपका ध्यान क्लॉज ६ की ओर ले जाना चाहता हूं कि जो एसोसिएटेड मेम्बर्स ऑफ पंचायत समिति के बारे में हैं। अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है जब यह क्लॉज चल रहा था तो उस समय हम नहीं थे।

अध्यक्ष—इसके लिये तो बहुत लोग लड़े हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—आखिरी लड़ाई तो यही है। इसके पीछे सरकार की क्या दलील है कि जो लोग राजनीति में हैं और ऐक्टीभ हैं उनके हाथ में कोई अधिकार न दिया जाये? अगर उनका यह मतलब है कि जो एम० एल० ए० हैं जो चुनाव से सदस्य हो गये हैं तो वे वहां भाग नहीं लेंगे। यह तो गांव की पंचायती है जिसमें कि कोई भी आदमी बैठ सकता है, अगर आप यही करना चाहते हैं तो इसे कहिये। आपने ऐसा नियम बनाया जिसमें लोग चुनकर आवें। जिसमें मुखिया रहेंगे, को-ऑपरेटिव के सेक्रेटरी रहेंगे। एसेम्बली के मेम्बर रहेंगे, लेकिन उनको वोट देने का हक नहीं दिया है। वे केवल ऐडवाइजर रहेंगे। जब वोट देने की बात आवे तो वे निकल कर बाहर चले जायें, ऐसा प्रोविजन आपने इस बिल में लाया है। मैं मानता हूं कि पंचायत समिति के प्रमुख होने में उनको कोई अड़चन था तो वह नहीं होते लेकिन वोट देने से आपने उन्हें क्यों वंचित किया? अगर कांग्रेसी सदस्य प्रमुख हो जाय....

अध्यक्ष—आप दूसरा मतलब क्यों नहीं लगाते हैं। अगर आप वोट देंगे तो एक पार्टी के समझे जायेंगे। और वे समझने लगेंगे कि वे एक पक्ष के हैं और जब फिर मौका आयेगा तो वे कहेंगे कि एक दल के आप हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अध्यक्ष महोदय, दल के आधार पर ही विधेयक पारित हो रहा है। ग्राम पंचायत में भी दलबंदी है। माननीय देवनन्दन प्रसाद जब बोलेंगे तो वे बतायेंगे कि किस-किस तरह के दल हैं। असेम्बली के मेम्बर को आप पंगू बनाना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि आप उनको भले ही न भेजें लेकिन जब आप उनको भेजते हैं तो पंगू बनाकर न भेजें। इसका नतीजा क्या होगा। मान लीजिए कि जो प्रमुख होगा वह कांग्रेस का होगा और काम ठीक चलेगा। लेकिन यदि अपोजीशन का कोई सदस्य प्रमुख हो गया तो उसके खिलाफ और लोग हो जायेंगे और उसकी जो सिफारिश किसी काम के लिए होगी उसको आप रद्द कर देंगे। और इस तरह का काम ५ वर्षों तक होता रहेगा। ब्लॉक डेभलपमेंट का जो काम है वह पंचायत समिति की स्वीकृति से होगा। मान लीजिए कि कोई हरिजन कुआं चाहता है और उसका प्रमुख सिफारिश करता है तो आप बनने नहीं देंगे। अगर कोई असेम्बली का मेम्बर वहां जाता है तो उसका सम्मान होना चाहिये। अगर कोई असेम्बली का मेम्बर पंचायत समिति में जाता है तो वह देश का दुश्मन नहीं है। और वह जो कुछ काम करेगा पंचायत समिति के हित में करेगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वे लोगों के हित की परवाह नहीं करेंगे। आपने दूसरे राज्यों की बातें कही है। हो सकता है कि दो एक राज्यों में ऐसी बात हो लेकिन और देशों में नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि आप दूसरे प्रदेशों की नकल करें। हमारा यह निश्चित मत है कि कोई एम० एल० ए० वहां इस हालत में जायेगा नहीं। अगर चाहते हैं कि वह वोट नहीं दे तो कानून में ऐसी व्यवस्था कर दें कि वह वहां जाय ही नहीं।

अगर कोई एम० एल० ए० होता है तो वह जनता का विश्वास पाकर चुना जाता है लेकिन आप उसपर विश्वास नहीं करते हैं। आज जितने मुखिया हैं वे या तो कांग्रेस दल के हैं या अपोजीशन दल के हैं। यदि वह कांग्रेस का है तो ठीक है और यदि अपोजीशन का है तो उसके काम में अड़ंगा लगाया जायगा और उसको आगे चलने नहीं दिया जायगा। यह बीमारी ऐसी है जिसका इलाज होना चाहिए। इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

जिला परिषद् में भी आपने वही बात रखी। म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन या नोटिफायड एरिया कमिटी के चेयरमैन को आपने अधिकार दिया है कि वह अध्यक्ष हो सकता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अधिकार को आपने एम० एल० ए० को क्यों नहीं दिया? एम० एल० ए० के बदौलत ही आप यहां मिनिस्टर बने हैं।

अध्यक्ष—अध्यक्ष वही रहे जो वहां रहता है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—मैं चाहता हूं कि इस बिल को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। आपने सारा अख्तियार ७८ क्लॉज से ले लिया है। आप किसी पास हुए प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जिला परिषद् का काम आगे बढ़े। मान लीजिए कि जिला परिषद् किसी रोड को बनाने के लिए सिफारिश करती है और आपके पिछलगुए कहते हैं कि दूसरी सड़क बननी चाहिए। तो इसका नतीजा यह होगा कि यह काम ठप्प पड़ जायगा और इसके लिए इन्क्वायरी होती रहेगी। अगर आप इस काम को भी जिला परिषद् से ले लेते हैं तो यह जिला परिषद् निकम्मी है। अगर आप उसको सुपरसीड करते हैं तो वह हाईकोर्ट नहीं जा सकती है। आजकल तो एक चपरासी भी हाईकोर्ट तक चला जाता है।

अध्यक्ष—शांति, शान्ति, यह आप मानते हैं कि आपको जो समय मिलता है या किसी को भी जो समय मिलता है वह एक परीक्षा का समय है और उस समय में अगर हम या आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं चल सकेगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—मैंने अभीतक एक शब्द भी नहीं कहा था।

अध्यक्ष—आप मेरी बात को शायद नहीं समझे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां जो एक बार ठीक से काम नहीं करेगा वह दूसरी बार जीत ही नहीं सकता है। शायद आप अपने बारे में समझ रहे हैं लेकिन मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। यदि हमको यहां के माननीय सदस्यों की परीक्षा लेनी पड़े तो मैं तो सबको बराबर का सर्टिफिकेट दे दूंगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अध्यक्ष महोदय, मुझे गलतफहमी हो गयी, इसे माफ करेंगे। सरकार को जो कैबिनेट है वह अपने को ईमानदारी का ठीकेदार समझती है। इसलिये मैं गंभीरतापूर्वक अपील करता हूं कि यह बिल जो बनी है वह बिल्कुल खोखली और बेजरूरी है। सरकार अपने लिए एक हथकन्डा बना रही है इस बिल के जरिये कि यदि कोई अध्यक्ष या प्रमुख सरकार के मर्जी के खिलाफ काम करता है, हालांकि वह काम भले ही जनहित का ही क्यों न हो, तो सरकार उसे अस्वीकार कर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री राम जनम ओझा---अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद यहां कुछ राजनीतिक विचारक लोग इस बात में लगे थे कि ऐसा काम किया जाय जिससे अपना दल ज्यादा-से-ज्यादा मजबूत हो और कुछ लोग ऐसे थे कि यहां ऐसे विचार कार्यान्वित किये जायं जिससे देश का निर्माण होनेवाला हो और इसलिये कुछ लोग देश के निर्माण के लिये विचारों के तह में जा रहे थे और यह उसीका नतीजा है कि इस देश के अन्दर कुछ नये-नये ख्याल पैदा हुए। उन्हीं विचारों में से यह विचार भी था कि भूमि के संबंध में जो नीति है उसमें आमूल परिवर्त्तन हो या उसका क्या रूप होना चाहिये, किस तरह का ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिये आदि बातें। इस तरह की सारी बातों का विचार जो सोशलिस्ट लोग इस देश के अन्दर थे उनका था। आज सरकार उन्हीं के बताये हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही है। अभी हाल में दिल्ली में नेशनल इंटीग्रेशन कमिटी का जलसा हुआ था उसमें भी जो बातें तय हुई हैं वह भी इसी पार्टी के लोगों का विचार है। यह बिल भी इसी विचार के लोगों की देन है फिर भी इस बिल में कुछ ऐसी खामियां रह गई हैं जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब आप पंचायत समिति का गठन करेंगे तो जितने उस पंचायत के मुखिया होंगे, उस पंचायत समिति के सदस्य होंगे। मुखिया का कई एक तरह का काम होता है जैसे ठीका वगैरह का भी। मुखिया यदि ठीके का काम करते हैं तो ऑफिसरों को उन्हें खुश रखना पड़ेगा क्योंकि आर्थिक सम्बन्ध रहेगा, इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक प्रखंड समिति के लोगों की सदस्यता का सवाल है उसमें मुखिया को न रखकर हर पंचायत से एक प्रतिनिधि का अलग से चुनाव कराकर भेजते तो ज्यादा अच्छा होता जो स्वतंत्र रूप से वहां काम कर सकते थे और यदि मुखिया को ही रखते हैं तो उसको ठीकेदारी वगैरह का काम मत दीजिये। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाहते हैं। सब पावर आप लोगों को देते हैं मगर आपको फिर याद आता है कि कहीं हमारी ताकत घट तो नहीं रही है। पंचायत समिति को आपने अधिकार दिया लेकिन फिर आपने रीमूवल का पावर अपने हाथ में रख लिया कि जब चाहेंगे हम रीमूव कर देंगे। जिला परिषद् के अध्यक्ष को आपने सब पावर दे दिया है लेकिन अन्त में आपने यह पावर रख लिया है कि अध्यक्ष को रीमूव करने का आपको पावर होगा। आपने यह पावर भी ले लिया है कि जितना रेजोल्यूशन या डीसीजन जिला परिषद् द्वारा होगा उसको आप कलक्टर के मारफत ससपेंड या रद्द कर सकते हैं।

एसोसिएटेड मेम्बर के संबंध में मुझे यह कहना है कि जो प्रोविजन यहां रखा गया है कि पंचायत समिति के प्रमुख या जिला परिषद् के अध्यक्ष एम० एल० ए० या एम० पी० नहीं हो सकते हैं यह ठीक नहीं है। प्रोविजन यह रखा जाय कि यदि कोई एम० एल० ए० या एम० पी० प्रमुख या अध्यक्ष चुना जायं तो १५ दिनों के अन्दर वे अपना पार्लियामेंट या असेम्बली के सीट से इस्तीफा दे दें। जिला परिषद् के अध्यक्ष का स्थान बड़ा ऊंचा होगा और यह एक ऑनरेबूल काम होगा इसलिये ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग एसेम्बली के मेम्बर न रहकर अध्यक्ष के पद पर ही रहना पसन्द करें। इसलिये उनको अध्यक्ष पद पर चुने जाने से डिबार नहीं किया जाय परन्तु यह प्रोविजन रखा जाय कि अध्यक्ष बन जाने के १५ दिनों के अन्दर उन्हें असेम्बली की सीट छोड़ देनी होगी।

श्री यदुनन्दन झा---जो मुखिया होगा वह एम० एल० ए० नहीं रह जायगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा---मुखिया प्रमुख नहीं बन सकता है जब वह एम० एल० ए० हो।

श्री राम जनम ओझा—तो मैं यह कह रहा हूं कि सरकार जहां conscious है अपने पावर के लिये वहां नोटिफायड एरिया कमिटी होने पर भी उसके मेम्बरों को म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ बराबरी देती है। लेकिन दोनों की तुलना बराबर का नहीं होना चाहिये क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर्स चुनकर आते हैं।

दूसरी बात यह है कि सेक्रेटरी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे इंस्टिच्युशन के सेक्रेटरी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होना जरूरी है।

तीसरी बात में यह कहना चाहता हूं जिसका जिक्र बैद्यनाथ बाबू ने किया है कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जिनको ब्लॉक डेवेलपमेंट से ताल्लुक है उनसे को-ऑपरेशन डिमान्ड करने का हक जिला परिषद् को होना चाहिये जो इसमें नहीं है।

अन्तिम बात में यह कहना चाहता हूं कि जिला परिषद् के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन का जो जिला परिषद् का सपना होना चाहिये था, उसके अनुसार लोकल बॉडीज को बनाकर ज्यादा पावर देना चाहिये था एडमिनिस्ट्रेशन में भी। अभी असेम्बली में क्वेश्चन होता है कि दारोगा ने जुर्म किया या नहीं इसके संबंध में जिला परिषद् को पावर होना चाहिये था कि वह इस बात को देख सके। डिसेन्ट्रलाइजेशन के द्वारा ज्यादा एफिसिएंट काम किया जा सकता है। इसलिये सिर्फ रेवेन्यु और डेवेलपमेंट में ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में भी गुंजाईश रखनी चाहिये थी कि ऐसे मामलों में जिला परिषद् को पावर हो कि इसको देखे। स्टेट के जितने भी फंकशन होते हैं उनमें शेयर करने का अधिकार जिला परिषद् को होना चाहिये। इन सब बातों पर आपको सोचना चाहिये।

*श्री रामदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो अभी हाउस से पास हो रहा है उस दिशा की ओर इस प्रांत को ले जायगा जिस दिशा में गांववालों का राज बनाने की बात हम करते हैं। गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता जब जिन्दा थे, तो यह कहा करते थे कि स्वराज आवेगा तो वह गावों में जायेगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज इस बिल के जरिये क्या गांव में हम गांववालों का राज बना सकेंगे? मैं यह पूछना चाहता हू कि डिमॉक्रेसी के अन्दर आप जनतंत्र को रखना चाहते हैं या परतंत्र को लाना चाहते हैं? दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर जनतंत्र को रखना है तो जनता के हाथ में एक्जीक्युटिव को रखना पड़ेगा। लेकिन इस पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल के जरिये जिनको आप जिम्मेवारियाँ देने जा रहे हैं आज उनके अन्दर काम करने वाले लोग जो एक्जीक्युटिव ऑफिसर्स होंगे उनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल इन समितियों और जिला परिषद् को नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते थे कि आप बड़े-बड़े की (key) पोस्ट्स पर चुनाव या नियुक्ति का प्रश्न जनता द्वारा चुने हुए लोगों के हाथ में सौंप दें लेकिन आपने इस बिल में प्रोविजन किया कि उनका जो फैसला होगा उसको एक्जीक्युटिव ऑफिसर्स रद्द भी कर सकते हैं। आखिर में सरकार जो करेगी जैसा क्लॉज ७८ में है कि जिला परिषद् द्वारा किये गये फैसले को पोस्टपोन भी कर सकते हैं और उनके फैसले को एक्जीक्युटिव ऑफिसर रद्द भी कर सकते हैं वही होगा। सरकार उन एक्जीक्युटिव ऑफिसरों से नोट मांगेगी चाहे वे ऑफिसर जिला पदाधिकारी हों या अन्य एक्जीक्युटिव ऑफिसर्स हों और उनसे नोट दिलवाकर वही बात होगी जो सरकार चाहेगी। सरकार का मानी मैं यह नहीं मानता कि नवल बाबू हो या चीफ मिनिस्टर। सरकार का मानी है सरकार के पदाधिकारी जिनकी आंखों से सरकार देखती है और जिनके कहने पर सरकार फैसला लेती है और आप भी इस बात के गवाह हैं कि जो कुछ इनके ऑफिसर लिखकर भेजते हैं वही बात यह कहते हैं। मैं इस हाउस को बात कह रहा हूं।

(अन्तराल।)

(इस अवसर पर श्री रामनारायण मंडल ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री रामदेव सिंह –सभापति महोदय, मैं यह बोल रहा था कि जिस बिल को हम कानून का रूप देने जा रहे हैं उसके द्वारा जो हमलोगों का लक्ष्य था वह पूरा नहीं होने जा रहा है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को सरकारी नौकरों के अप्वायंटमेंट और ट्रांसफर आदि बातों में फाइनल डिसीजन लेने का हक न रहे सिर्फ चीफ सेक्रेटरी पर इसका कंट्रोल रहे तो क्या गवर्नमेंट का काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। वैसे ही अगर पंचायत कमिटियों का कुल कंट्रोल पंचायत समिति वगैरह में काम करनेवाले सभी स्टाफ पर नहीं रहे तो जो योजनाएँ उन्हें इम्पलीमेन्ट करनी है उनका ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल नहीं रहने के कारण योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी। इसलिये जो लक्षय हमारे सामने है वह इस बिल के द्वारा पूरा नहीं होगा। इसमें पंचायत कमिटियों को पूरा अधिकार मिलना चाहिये था कि जिससे योजनाओं को कार्यान्वित करने में उन्हें सफलता मिले। लेकिन वह चीज इसमें नहीं है।

दूसरी बात यह है कि नौमिनेट करने का पावर जो सरकार का है जिसके द्वारा कहा जाता है कि जो लोग विद्वान हैं, देश के बहुत बड़े कार्यकर्त्ता हैं या बहुत बड़े अनुभवी हैं, जो समितियों में नहीं आ सके हों उन्हें उसमें जगह दी जायगी, वह पावर अगर समितियों को दी जाती तो हम यह मानते कि ठीक चीज है। नौमिनेशन के पावर के पीछे जिस उच्च आदर्श का सरकार जिक्र करती है, हम सरकार से पूछते हैं क्या आजतक सरकार ने उस नौमीनेशन के अधिकार का दुरुपयोग किया है या नहीं? छपरा में नगीना राय का मनोनयन न करके किसी कर्मठ या विद्वान और अनुभवी कार्यकर्त्ता का मनोनयन करते तो हम मानते कि इन्होंने ठीक किया है। आप उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो ठकुरसुहाती बातें करें, जो खुशामदी हों या जो आपकी हामी भरने वाले हों। इसलिये हम कहते हैं कि यह पावर आप पंचायत समितियों को दीजिये तो अपने-अपने इलाके के अच्छे योग्य लोगों को चुनकर सही माने में वे उनकी सेवा से लाभ उठा सकती है। जिस नौकरशाही का हम बराबर विरोध करते रहे हैं अगर उसका इस बिल में अन्त किया गया होता तो हम मानते कि सरकार ने प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है। मैं नहीं देखता हूं कि इस बिल के जरिये रत्ती भर भी इस दिशा में प्रोग्रेस हुआ है। पुराना जिला परिषद जो अंग्रेजों के जमाने में था उसमें चेयरमैन को काफी अधिकार दिये गये थे, लेकिन इस बिल के जरिये आप न तो अध्यक्ष को और न प्रमुख को ही फाइनल पेमेंट करने का अधिकार देते हैं बल्कि यह अधिकार आपने एस० डी० ओ० और बी० डी० ओ० को दिया है। मैं तो चाहता हूं कि ब्लॉक में जितनी भी सरकारी एजेन्सी काम कर रही हैं उन सभी एजेन्सियों पर पंचायत समिति का नियंत्रण रहे, यहां तक कि ट्रांसफर और नियुक्ति का भी अधिकार उसको रहे। पुलिस विभाग आपका एक महत्वपूर्ण विभाग है और आपने इस विभाग पर पंचायत समिति को कौनसा अधिकार दे रखा है, आपने कोई अधिकार पुलिस विभाग के ऊपर नहीं दिया बल्कि आपने उसको इससे अलग रखा। मेरा तो यही मत है कि इस बिल के जरिये आप सही माने में पंचायत समिति को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। जहां तक फाइनन्स देने का सवाल है, आपने बहुत कम परसेन्ट पंचायत समिति को दिया है और इतने कम परसेन्ट में वह अपनी योजना की कार्यान्विति ठीक से नहीं कर सकता है। जितना कोष उसके लिये आवश्यक है उतना कोष आपको देना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी फाइनल पेमेंट हो वह प्रमुख और अध्यक्ष के द्वारा हो, न कि बी० डी० ओ० और एस० डी० ओ० के द्वारा। उप-मंत्री जो बराबर ही सदन में रहे हैं और उन्होंने सभी के विचारों को अच्छी तरह से सुना होगा। मैं चाहता हूं कि इसी बिल के द्वारा गांधी जी का जो स्वप्न था ग्राम स्वराज्य का वह पूरा हो जिसके लिये ध्यान दिया जाय।

*श्री नन्द किशोर सिंह (हजारीबाग)—सभापति महोदय, मैं इस बिल के उद्देश्य से सहमत नहीं हूं। इस बिल की कुछ धाराएँ हैं जिन पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस बिल को कानूनी रूप देने का मतलब सिर्फ यही है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करना है। सबसे पहले मैं इसके संगठन की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पंचायत समिति में किस तरह के लोग आयेंगे उसके बारे में, जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है, जितने मुखिया हैं वे पंचायत समिति के सदस्य होंगे, इसके अलावे कुछ लोग को-ऑपटेड होंगे और लेजिसलेचर और पालियामेंट के सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। उनको डर था कि ये लोग यदि वहां गये तो पोलिटिक्स बढ़ेगा। अगर आपको ऐसा डर था तो उनको वहां घुसेड़ने की क्या जरूरत थी?

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—"घुसेड़ना" शब्द अच्छा नहीं मालूम पड़ता है। आप उसे वापस ले लें तो अच्छा होगा।

श्री नन्द किशोर सिंह—मैं उसे वापस ले लेता हूं। आपने कहा है कि वे सलाह दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सलाह देने के लिये समिति में रहना जरूरी था? ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी में लेजिसलेचर के सदस्य को इसलिये नहीं रहना है कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस डेमोक्रैसी में चाहे पब्लिक रिप्रेजन्टेटिव कहीं भी रहे मगर अपने एरिया में काम हो रहा है कि नहीं इस चीज को सभी देखना चाहते हैं। अगर विधान-सभा के सदस्य ब्लॉक कमिटी में रहते हैं तो वे सारे थाने के बारे में समानता से विचार करते हैं और देखते हैं कि जहां जो काम सबसे जरूरी है वह हो रहा है कि नहीं। मगर आप पंचायत समिति में उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वे वोट दे सकें। वहां सिर्फ मुखिया ही ऐक्टिव मेम्बर है। वे अपने पंचायत के लिये लड़ेंगे। जो प्रमुख बनेगा उसको सबसे ज्यादा अधिकार रहेगा। किसी भी पार्टी के सदस्य जब किसी कमिटी में रहते हैं और वहां विकास के काम पर विचार होता है तो विकास के काम के लिये वे सारे क्षेत्र को एक ही नजर से देखते हैं। इसलिये अगर आप उनको मेम्बर के रूप में पंचायत समिति में रखते हैं तो उनको पूर्ण रूप से अधिकार देना चाहिये था ताकि वे वोट दे सकें, नोट ऑफ डिसेन्ट दे सकें।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—अगर किसी समिति में लेजिसलेचर के सदस्य आउट वोटेड हो जाय तो उसके सम्मान पर खतरा हो जायगा। इस चीज को भी तो देखना चाहिये।

श्री नन्द किशोर सिंह—जहां सम्मान की बात है वहां लेजिसलेचर के सदस्य देख लेगा कि मेजोरिटी की रूख किस तरफ है, इन सब बातों को देख कर ही वे वोट देंगे।

सभापति महोदय, इस बिल से आपने लेजिसलेचर और पालियामेंट के सदस्य को वोट देने से वंचित रखा और दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटी और नोटिफायड एरिया के जो रिप्रेजेन्टेटिव होंगे उनको अधिकार दे रखा है कि वे वोट दे सकते हैं। जब म्युनिसिपल ऐक्ट और उसका फन्ड अलग है, क्या जरुरत पड़ी कि म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन और नोटिफायड ऐरिया कमिटी के वाईस-चेयरमैन को ऐक्टिव मेम्बर बनाने की? जरूरत इसलिये थी कि इन दोनों ऑफिस में सरकार के नोमिनेटेड आदमी जाते हैं और रूलिंग ग्रूप के आदमी रहते हैं।

श्री डूमर लाल बैठा—कोई जरूरी नहीं है कि नोटिफायड एरिया कमिटी के वाईस-चेयरमैन नौमिनेटेड आदमी हो सब-के-सब।

(आवाज)—सभी जगह ऐसा ही है।

श्री नन्द किशोर सिंह—सभी जगह ऐसा है, मैं जानता हूं।

आप अधिकार दे रहे हैं कि रूलिंग ग्रूप के लोग आयें और प्रमुख बन सकें, जिला परिषद् के चेयरमैन बन सकें। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि नोटिफायड एरिया के वाईस-चेयरमैन को पंचायत समिति में नहीं रखा जाय।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—वे पंचायत समिति के मेम्बर होंगे तो पंचायत समिति को फंड के कंट्रिब्युशन का भी अधिकार है।

श्री नन्द किशोर सिंह—कंट्रिब्युशन ही नहीं बल्कि डोनेशन भी है लेकिन यह आप से छिपा हुआ नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी या नोटिफायड एरिया का क्या फंड है। कर्ज पर कर्ज तो वे खुद ही ले रहे हैं और सरकार की तरफ नजर लगाये रखते हैं फिर वे डोनेशन कहां से देंगे। जब पैसा रहेगा तब तो वे पैसा देंगे।

सभापति जी, इसके बाद पंचायत समिति में और जिला परिषद् में स्टैंडिंग कमिटियां बनाई गई हैं हर डिपार्टमेंट के लिये, जैसे ऐग्रिकल्चर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन आदि आदि। लेकिन एक महत्वपूर्ण स्टैन्डिंग कमिटी जो छोटानागपुर डिवीजन के लिये और साउथ बिहार के लिये है यानी फौरेस्ट की स्टैंडिंग कमिटी वह नहीं बनाई गई। सेलेक्ट कमिटी में मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट भी दिया था और एक अमेंडमेंट भी था कि ऐग्रिकल्चर के साथ फौरेस्ट भी जोड़ दिया जाये इसलिये कि ऐग्रिकल्चरिस्ट लोगों को खेती के सिलसिले में जंगल से भी सरोकार रहता है। सरकार की ऐसी नीति है और फौरेस्ट मिनिस्टर का बयान भी हुआ है कि सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है कि जंगल को पंचायत के अधिकार में दिया जाय। तो जब सरकार की ऐसी नीति है तो मैं पूछता हूं कि फिर क्या कारण है कि जब बाजाप्ते पंचायत राज्य कायम होने जा रहा है तो इसमें फौरेस्ट की कमिटी नहीं रखी गई। रिपोर्ट में कहीं इसकी चर्चा नहीं है और जब अमेंडमेंट लाया गया तो सरकार ने नहीं माना। इससे साफ मालूम पड़ता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि जंगल का शासन पंचायत को देंगे और दूसरी तरफ जब पंचायत ऐक्ट बना रहे हैं तो इसमें यह अधिकार उसको नहीं दे रहे हैं। आज जंगल बर्बाद हो रहा है, कट रहा है। जिस तरह से खेत किसानों की चीज है जंगल भी वैसा ह. है और इसे वे बचाना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता था यह अधिकार पंचायत समिति को दिया जाय ताकि फौरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि वहां आयेंगे और स्टैंन्डिग कमिटी के सामने विचार-विमर्श किया जायगा कि कैसे जंगल बचाया जाय लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है।

सभापतिजी, सरकार का कहना है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और ग्रामीणों को पावर देने जा रहे हैं। लेकिन हाल यह है कि बृटिश गवर्नमेंट में एल० एस० जी० ऐक्ट बना था उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को यह अधिकार था कि जिला परिषद् के फंड से रुपया निकाले और खर्च करे मगर आज आप इससे वंचित कर रहे हैं। २९९ रुपया के वेतन तक के काम करने वालों की बहाली का अधिकार जिला परिषद् के चेयरमैन को था लेकिन आज आप इससे उन्हें वंचित रख रहे हैं। मैं चाहता था कि जब आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो अधिक-से-अधिक

अख्तियार प्रमुख और चेयरमैन को देना चाहिये लेकिन आप इसे छीन रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ एक खतरनाक बात यह भी लगी हुई है कि ये जब चाहेंगे और सरकार समझेगी कि पंचायत समिति या प्रमुख ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें खतम कर देगी। जिला परिषद् के साथ भी यही बात है। मैं पूछता हूं कि जब वहां भी जनता के प्रतिनिधि आयेंगे तो आप यह अधिकार उनसे क्यों ले रहे हैं। इसका मतलब है कि जहां आप देखेंगे कि हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे ग्रूप के लोग हैं, हमारे ही आदमी प्रमुख हैं, जिला परिषद् के चेयरमैन हैं वहां के कामों को गलत करने पर भी जायज समझेंगे और जहां देखेंगे कि विरोधी दल के लोग प्रमुख या चेयरमैन हैं वहां आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बराबर रिपोर्ट दिया करेंगे कि यहां पर पंचायत समिति या जिला परिषद् अपने कर्त्तव्य को ठीक से नहीं निभा रही है। इसके संबंध में हमलोगों ने राय भी दी थी कि प्रमुख या चेयरमैन को हटाने की बात हो तो प्रमुख के हटाने का अधिकार पंचायत समिति की राय से जिला परिषद् को हो और चेयरमैन के हटाने का अधिकार जिला परिषद् की राय से राज्य विकास बोर्ड को हो।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—इसमें तो है कि पंचायत समिति या जिला परिषद् ठीक से काम करता है या नहीं इसको सरकार देखे। फिर [रिप्रेजेन्टेशन का अधिकार है ही। खराब काम करने से सुपरसीड करने का अधिकार सरकार को दिया गया है।

श्री नन्द किशोर सिंह—हमलोग चाहते थे कि किसी पंचायत समिति का प्रमुख गड़बड़ काम करे तो उसको हटाने का अधिकार सरकार को न रहे चूंकि सरकारी अधिकारी आपके हाथ में हैं, आपके अनुसार ही रिपोर्ट दे देंगे। इनके हटाने का अधिकार जिला परिषद् को होना चाहिये चूंकि पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद् है और ज़िला परिषद् के चेयरमैन को हटाने का अधिकार राज्य विकास बोर्ड को होना चाहिये चूंकि राज्य विकास बोर्ड जिला परिषद् के ऊपर है। सीधा अधिकार सरकार को नहीं लेना चाहिये चूंकि इनके आँफिसर इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड के नहीं हैं।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—समय पूरा हो गया।

श्री नन्द किशोर सिंह—समय कम है इसलिये मेरा आखिरी कहना है कि राज्य विकास बोर्ड का जो संगठन किया है वह जिला परिषद् के ऊपर है, इसमें असेम्बली, कौंसिल के प्रतिनिधि रहेंगे। ये लोग इसके प्रतिनिधि नहीं रहते तो भी कोई हर्ज नहीं था लेकिन उसमें हर चेयरमैन का रहना अत्यावश्यक था चूंकि राज्य विकास बोर्ड की जो पौलिसी होगी उसको पूरा करना जिला परिषद् का यानी चेयरमैन का ही काम होगा पर आप तो डिवीजन से दो चेयरमैन को रखते हैं। अगर हर चेयरमैन को रख देते तो कितना खर्च बढ़ जाता केवल दो बार आने का टी० ए० ही न देना होता लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। एक डिवीजन से दो चेयरमैन आकर पूरी राय कैसे दे सकते हैं। समय कम है इसलिये मैं इन्हीं विचारों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री सभापति सिंह—सभापति जी, बहुत दिनों से शोहरत थी, हमलोग भी प्रचार करते थे और कांग्रेस के लोग भी प्रचार करते थे कि ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसके द्वारा इस राज्य के लोग महसूस करेंगे कि सचमुच स्वराज्य आ गया है और वह स्वराज्य दिल्ली और पटने में ही नहीं बल्कि बिहार के गांव-गांव में है। इस उद्देश्य का

प्रचार किया जाता था मिनिस्टर लोग जब मीटिंग में जाते थे तो ऐसा ही कहा करते थे लेकिन जिस कानून के द्वारा स्वतंत्रता को नीचे ले जाने की बात है उसको देखने और पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि आधा तीतर और आधा बटेर की कहानी चरितार्थ होती है। एक तरफ यह कहा जाता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जायगा लेकिन दरअसल में सरकार अपने हाथों मे सत्ता को केन्द्रित करना चाहती हैं। क्लॉज ३ में सीमा निर्धारित करने के लिये प्रावधान किया गया है जिसमें सीमा निर्धारण सरकार की राय से करने की बात है। इसके पहले भी जो अंचल का गठन हुआ वह गलत तरीके से हुआ। इसमें ऐसा हुआ है कि ब्लॉक के बगल का गांव दूसरे ब्लॉक में जोड़ दिया गया है और आठ-दस माईल दूर के गांव को इसमें जोड़ दिया गया है। इसके लिये ऐसा हुआ कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी से पूछा जरूर लेकिन अपने स्वार्थ को मद्दे नजर रखते हुए सीमाबन्दी की। जिला बोर्ड बनाया जा रहा है उसी को सीमाबन्दी का अधिकार देना चाहिये था लेकिन सरकार इसको नहीं मानना चाहती है।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—जहां तक मेरा ख्याल है कि पंचायत का गठन रेवेन्यु हल्के के अनुसार हुआ है।

श्री सभापति सिंह—१९५७ में जो कानून बना है उसमें गुंजाइश है कि रेवेन्यु हल्के को तोड़ कर भी सरकार चाहे तो दूसरे गांव में जोड सकती है। इसलिये रेवेन्यु हल्का भी जो बना है वह ऑफिसर की राय से बना है, इसके लिये कम्पीटेन्ट बडी जिला परिषद् है। इसके लिये उसीको अधिकार देना चाहिये था कि पंचायत समिति की राय के अनुसार किस गांव को किस समिति में रखा जाय, कहां हेडक्वार्टर रहे लेकिन वह पावर भी सरकार अपने हाथ में रख रही है। ख्याल यह हुआ था विकास का काम बहुत तेजी से होगा, रचनात्मक भावनाएं बढ़ेंगी, प्रशासन में सुधार आयगा। आज प्रशासन में बडी खामी है। सभी लोगों ने अनुमान किया था कि समिति का अधिकार प्रशासन में भी होगा लेकिन सरकार यह कहीं बताने के लायक नहीं है कि इस कानून के द्वारा पंचायत समिति को अधिकार है कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करे। आज से नहीं पहले भी ऐसा सरकुलर था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है कि कहीं करप्शन देखे तो ऐक्शन ले लेकिन आज वह सरकुलर खटाई में पडा है और करप्शन बढ़ रहा है। जितने पंचायत समिति के कर्मचारी हैं उनका कैरेक्टर रोल पंचायत समिति लिखे और वह जो फैसला ले उसके अनुसार सरकार काम करे। पुलिस विभाग में लॉ ऐंड ऑर्डर के नाम पर बहुत धांधली चल रही है। जिला परिषद और पंचायत समिति में जो प्रस्ताव आयेंगे, यदि वे कलक्टर की मर्जी के खिलाफ होंगे तो वह उन्हें कैंसिल कर देगा। वहां लोकसभा के सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य और मुखिया होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप जनतंत्र को नीचे ले जाना चाहते हैं तो क्या ऐसा करना उचित होगा? क्या ये सभी सदस्य अपने जिला के हित को दरकिनार कर देंगे और वहां कम्युनल वातावरण पैदा करेंगे? आपको मालूम होना चाहिये कि वहां एक ही जाति और धर्म के लोग नहीं रहेंगे, वहां हिन्दू, मुसलमान और हरिजन सभी रहेंगे। इसलिये सरकार अपने हाथ में इतना बडा पावर लेना चाहती है कि वह उचित नहीं है। सरकार कलक्टर और कमिश्नर के द्वारा अपने हाथ में पावर रखना चाहती है। सरकार राज्य पंचायत बोर्ड को फाइनल ऑथोरिटी क्यों नहीं मानती है? इस राज्य में सुधार के दो रास्ते हैं। एक ग्राम पंचायत जिसके जरिये डेवलपमेंट का काम होगा और दूसरा को-ऑपरेटिव सोसाइटी है जिससे आर्थिक प्रगति होगी।

जिला परिषद् के सेक्रेटरी जिला विकास पदाधिकारी होंगे और वे कलक्टर के अधीन रहेंगे, अगर सरकार कलक्टर को हिदायत कर देगी कि जिला परिषद् में अमुक प्रस्ताव नहीं पास होना चाहिये तब जिला विकास पदाधिकारी कलक्टर की इच्छा के विरूद्ध काम नहीं कर सकेगा। वह कलक्टर से डरेगा इसलिये परिषद् से जो प्रस्ताव पास होंगे उनमें वह कानूनी अड़चन लगा देगा। इसलिये मेरा कहना है कि सरकार लोगों की भलाई नहीं करना चाहती है। सरकार इसको घूमा-फिराकर पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जैसा बनाना चाहती है।

श्री देवनन्दन प्रसाद—सभापति महोदय, अभी जो बिल हमलोगों के सामने पेश है,

---

उसको पेश करने के समय सरकार की ओर से कहा गया था कि यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह तो वही है कि "खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया"। सरकार डाइरेक्ट चुनाव को एवोआएड करके इनडाइरेक्ट चुनाव लाना चाहती है। सरकार का कहना है कि प्रान्त की सत्ता को हम जिला के स्तर पर ले जाना चाहते हैं लेकिन यह सब झूठी बात है। सरकार जिला परिषद् के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं रहने देना चाहती है। विकेन्द्रीयकरण की बात तो करती है लेकिन पावर अपने हाथ में रखती है। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को जो अधिकार थे वे भी आज नहीं दिये जा रहे हैं। डेवलपमेंट आफिसर जो सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेगा वह कानूनी दिक्कत पैदा करके प्रमुख का कुछ भी नहीं चलने देगा।

आज देखा जाय कि बी० डी० ओ० ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव कराता है लेकिन वह ऐसा दाव-पेंच खेलता है कि अपने मनमाने आदमियों को ही मुखिया बना देता है। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि बी० डी० ओ० या अंचलाधिकारी जिसको मुखिया बनाना चाहते हैं वहां गड़बड़ी पैदा करके उनको बना देते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरा अधिकार पंचायत समिति और जिला परिषद् को देना चाहते हैं तो कोई ऐसा प्रबन्ध करें ताकि उसके जो सदस्य हों वे सुरक्षापूर्वक अपनी बात वहां कह सकें। इसके चुनाव के लिये आप अलग से एलेक्शन ट्रिबुनल या जो आप नाम इसके लिये रखें वह बनावें ताकि पूरे प्रान्त में चुनाव में जो गड़बड़ हो उसकी वह जांच करे और इस प्रकार के जितने भी केस हों उनका फैसला भी वही करे। दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि पचायत समिति के प्रस्ताव को लेकर, और जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तक के जो प्रस्ताव किये जायेंगे, उन प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार सरकार अपने हाथ में रखे हुए है और वह इसे रद्द कर सकती है। लेकिन यह जनतांत्रिक सिद्धांत के विपरीत है, यह जनहित के खिलाफ पड़ता है। हां, अगर पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्रमुख या अध्यक्ष कोई काम अनुचित करें तो कोर्ट में केस बाजाब्ता दायर किया जाये और जो कोर्ट का फैसला हो वह सबको मान्य होगा। अगर कोर्ट का फैसला हटाने का होगा तो वह मान्य होगा और रखने का फैसला हो तो वही मान्य होगा, इसमें दो राय नहीं हो सकती है।* आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और अपने हाथ में बागडोर रखे हुए हैं। अपनी बिजली की छडी घुमाइएगा और जिसको चाहियेगा उसे चित कर दीजियेगा।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—इसका इन्टरप्रेटेशन इसमें है।

श्री देवनन्दन प्रसाद—इन्टरप्रेटेशन करने का हक तो सरकार अपने हाथ में रखती

है। अभी कुछ दिन पहले इस असेम्बली में यही बिल पास हुआ और उस समय तो संशोधन दोनों ओर से लिये गये थे और यह समझा जा रहा था कि यह जनता के

हित के लिये और प्रान्त के कल्याण के लिये यह बहुत अच्छा कदम है। कुछ दिन पहले चार युनिवर्सिटी बनाई गयीं और उस समय सरकार यह समझ रही थी कि इससे बहुत लाभ होगा लेकिन थोड़े ही दिन के बाद सरकार को यह महसूस करना पड़ा कि हमने यह बिल पास करके गलती की है, इसमें सरकार संशोधन करके फिर पास कराना चाहती है, हमारी सरकार धीरे-धीरे करके सोचती है और वह अमेंडमेंट को ही ज्यादा महत्व देती है क्योंकि वह तो बिल होंच-पोंच करके ड्राफ्ट करके लाती है, यही तो उनका काम है। आपने पंचायत समिति को कोई अधिकार नहीं दिया लेकिन जिला परिषद् को तो अधिकार मिलना चाहिये था वह भी आप नहीं देते हैं, यही आप विकेन्द्रीयकरण करते हैं और जनतांत्रिक पद्धति की दोहाई देते हैं। आपका कोई दूसरा ही मकसद है। आप दूसरे-दूसरे लोगों के दबाब से मजबूर हैं इसलिये आप इस बिल को पास करने जा रहे हैं। इस बिल में हर जगह ऐसा क्लॉज आप रखे हुए हैं कि उसका इन्टरप्रेटेशन अपने मतलब का कर सकते हैं। यह बिल जिस रूप में उपस्थित है उसका मैं विरोध करता हूं और मैं यह समझता हूं कि सरकार इसपर विचार करेगी।

*श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—सभापति महोदय, सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के लिये यह बिल आया है। सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का अर्थ हुआ कि जो लोग प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुने जाय उनके हाथ में सत्ता आवे। इस बिल में सरकार ने कुछ दूर तक कोशिश की है लेकिन पूर्ण रूपेण सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। उदाहरण के लिये मैं आपको बताऊँ कि बी० डी० ओ० बजट तैयार करेगा और पंचायत समिति के समक्ष उपस्थित करेगा स्वीकृति के लिये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है कि जो आँफिसर प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुना नहीं गया है उसको हाउस में बजट उपस्थित करने का अधिकार नहीं है। जिस जगह प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुन कर लोग आवें और उनके सामने एक बी० डी० ओ० जो आँफिसर है वह बजट उपस्थित करे, यह प्रजतंत्र के खिलाफ है। उदाहरण के लिये हमारे यहां सदन में जब बजट उपस्थित होता है तो उसको वित्त मंत्री बजट उपस्थित करते हैं न कि वित्त सचिव। इसलिये वहां भी प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुने हुए सदस्यों के बीच बी० डी० ओ० को बजट उपस्थित करने का अधिकार बिल में नहीं रखना चाहिये।

सभापति महोदय, इसमें प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ग्राम-पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया, को-ऑपरेटिव के प्रतिनिधि आदि सभी चुने हुए सदस्य रहेंगे लेकिन उनका चुनाव कैसे होगा, उसका रूप कैसा होगा, इसको सुलझाने के लिये आपके पास कोई मशीनरी नहीं है। इसलिये मैंने सलाह दी थी कि बिल में ऐसा प्रोविजन होना चाहिये। उनके चुनाव की वैधता पर जो पेटीशन पड़ेगा उसको सुलझाने के लिये एलेक्शन ट्रिब्यूनल होना चाहिये। आपने इस बिल में उसका प्रोविजन नहीं किया है।

आय के संबंध में भी मैंने सलाह दी थी कि कम-से-कम ५० प्रतिशत आय पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद् को निर्धारित कर देना चाहिये। उसको भी आपने तय नहीं किया। मैंने कहा था कि इसकी तीन इकाई कर दी जाय। जैसे ग्राम पंचायत को २५ प्रतिशत, पंचायत समिति को १५ प्रतिशत और जिला परिषद् को १० प्रतिशत दिया जाय। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि आप इस बिल के द्वारा सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने जा रहे हैं। आप जिसको शासन चलाने के लिये कहते हैं वह किस तरह बिना पैसे के शासन चला सकेगा। उसके सामने तरह-तरह के विकास के काम होंगे जैसे पईन, पोखर, स्कूल आदि। इसलिये बिल में उसके आय का प्रोविजन होना चाहिये था। आपने कहा था कि हम रूल्स बनाकर इसको तय कर देंगे। लेकिन मेरी राय थी कि इसको संशोधन के जरिये कर लेना चाहिये।

अभी सभापति महोदय यदि पंचायत समिति का सदस्य डिसक्वालिफायड हो जाता है और वह उस डिसक्वालिफिकेशन को स्वीकार नहीं करता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज के यहां भेजा जायेगा और वह सब-जज या ऐडिशनल जज बहाल करके उस केस को दे देंगे लेकिन इसमें समय निर्धारित नहीं किया गया है। समय निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक है। हो सकता है समय निर्धारित नहीं रहने से पांच या दस वर्ष भी लग जाय। इसलिये समय का निर्धारण होना चाहिये था कि इतने दिनों में डिस्ट्रिक्ट जज डिसक्वालिफिकेशन का फैसला दे दे।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—निर्धारित समय के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज अगर फैसला न कर सके तो क्या होगा?

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—तब समय का निर्धारण सरकार कुछ ज्यादा मारजीन रख कर करे या नहीं तो ज्यादा जज बहाल करेगी। जब सरकार इतनी बड़ी मशीनरी खड़ा कर रही है तो उसपर तो कुछ ज्यादा खर्च करना ही होगा।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बिल के नाम से कुछ ऐसा बोध होता है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण पंचायत समितियों के हाथ में होगा लेकिन बिल के प्रावधान से मालूम नहीं होता है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण पंचायत समितिज के हाथ में हो सकेगा। अभी जो बिल का नाम है पंचायत समितिज और जिला परिषद्स बिल, १९६१ इसके बदले में इसका नाम पंचायत राज बिल, १९६१ कर देने से अच्छा होगा और नाम का छोटा रूप भी हो जायेगा।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—इसपर तो आपने अमेंडमेंट नहीं दिया है?

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—अमेंडमेंट दूसरे सदस्यों ने दिया है लेकिन वे अनुपस्थित हैं। यदि यह चीज यहां न हो सके तो इसे कौंसिल में अमेंड करके कर दिया जाय। आशा करता हूं सरकार को इसे मानने में कोई एतराज नहीं होगा।

*ठाकुर गिरजानन्दन सिंह—सभापति महोदय, इस बिल के सदन में आने से यह उम्मीद की जाती थी कि स्वायत्त शासन का नया नमूना पेश होगा और सत्ता के विकेन्द्रीय-करण का जो उद्देश्य है उसको बढ़ाने की कोशिश की जायेगी। लेकिन मैं एक तरफ इस स्वतंत्र देश के गवर्नमेंट द्वारा लाये हुए बिल को और दूसरी ओर जब यहां अंग्रेज मौजूद थे और स्वायत्त शासन के जो कानून बनाये गये थे इन दोनों का मिलान करता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि आपको जनता पर उतना भी विश्वास नहीं है जितना अंग्रेज सरकार को था। पुरानी सरकार जिसकी सारी मशीनरी और सारे शासन का मुख्य कार्यक्रम ब्यूरोक्रैसी को चलाना था और इस पर उनलोगों को विश्वास था लेकिन इतने पर भी उनलोगों ने एक ऐसा नमूना पेश किया था जिसको वर्षों तक अपने देश में चालू रखा गया था। आज ऐसा मालूम होता है कि हमारी सरकार बिना ऑफिसरों और कर्मचारियों के किसी भी विकास कार्य या प्रशासन के कार्य को नहीं चला सकती है शायद इसीलिये इस तरह का बिल लायी है। जिस ब्यूरोक्रैसी को खतम करके डेमोक्रैसी कायम करने की बात सोची जा रही है उस उम्मीद पर सरकार पानी फेर रही है। हमलोगों को यह उम्मीद थी कि बी० डी० सी० या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी का रूप इस कानून के पास हो जाने पर कम-से-कम जरूर बदल जायेगा लेकिन इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। इस बिल को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि

सरकार बी० डी० सी० या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी के द्वारा जो काम चलाती थी उसे उतनी ही दूर तक छोड़ देना चाहती है। सरकार एक ओर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बोर्ड को ऐबौलिश करना चाहती है लेकिन उसकी जगह पर आप लोगों को कौन-सा अधिकार दे रहे हैं ? सरकार के सामने सब चीजों का साफ नक्शा नहीं है जितना कि स्थानीय लोगों के सामने हैं। कोशिश यह होनी चाहिये थी कि जो प्रादेशिक सरकार वह कुछ काम उनपर छोड़ दे और पूरे तौर से उसपर निर्भर करती लेकिन सरकार उनलोगों में इतनी काबलियत नहीं समझ रही है इसलिये उसे कुछ पावर देना नहीं चाहती है हालांकि सरकार के चलाने वाले लोग भी उन्हीं लोगों में से आते हैं जिन लोगों को वे पंचायत समिति और जिला परिषद् का काम चलाने पर भी योग्य नहीं समझते हैं। पंचायत समिति में बैठनेवालों को सरकार इतना काबिल नहीं समझती है कि वह उनपर कुछ कार्य छोड़ दें और उनपर निर्भर करे। आपने जो पंचायत समिति और जिला परिषद बनाया है उसे आखिर आप क्या पावर देने जा रहे हैं ? उनको बजट पास करने का भी हक नहीं रहेगा। बजट भी एक मामूली चीज है। आप जितना भी रुपया एलौट करते हैं उसको उन्हें मंजूर कर लेना होगा। आपको चाहिये कि उनपर ही छोड़ दे तो हो सकता है इसमें कुछ रुपये भी बरबाद हों। लेकिन मैं कहता हूं कि जब सरकार गलती से या जिस कारण से भी हो इतना रुपया बरबाद करती है तो पंचायत समिति या जिला परिषद् से कुछ बरबाद हो ही गया तो क्या अनर्थ हो गया ? यह कोई अजनबी बात नहीं हो जायेगी। आखिर प्रजातंत्र चलाने के लिये सीखने में कुछ गलती होगी ही, कुछ बरबादी होगी ही और बिना गलती और बरबादी के लोग सीख भी नहीं सकते हैं। बिना गलती किये मनुष्य की आंख भी नहीं खुलती है। इस बिल के जरिये पंचायत समिति को आप इतना भी हक नहीं दे रहे हैं कि वह बी० डी० ओ० के यहां से रेकर्ड मंगाकर देख सके। यह बी० डी० ओ० पर निर्भर करेगा कि वह देखने के लिये रेकर्ड दे या न दे। तो मैं पूछता हूं कि जब इतना भी उन्हें अधिकार नहीं है तो वे क्या करेंगे वहां रहकर। आप प्रमुख और उप-प्रमुख बनाते हैं सिर्फ पंचायत समिति में सभापतित्व करने के लिये क्योंकि उसे आप कोई भी पावर नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा काम उनके जिम्मे नहीं है। उन्हें इस बिल के जरिये पंचायत समिति के स्टाफ पर भी नियंत्रण नहीं रहेगा। वे सिर्फ किसी पंचायत को इंसपेक्ट कर सकते हैं। वे डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्ड के चेयरमैन और सोशल आँर्गेनाइजर की तरह गांव में जाकर कुछ भाषण देंगे और कुछ सुझाव देंगे। वे मुखिया, ग्राम-सेवक और सरपंच को बुलाकर को-ऑर्डिनेट करने को कहेंगे मालूम पड़ता है कि प्रमुख हो जाने पर वह इतने एक्सपर्ट हो जायेंगे कि पंचायत में जाने पर उनकी बातों का महत्व बहुत बढ़ जायगा। प्रमुख को भी इसमें कोई हक नहीं दिया हुआ है। बी० डी० ओ० से अगर उनको किसी बात में कंफ्लिक्ट हुआ या ऊपर से बी० डी० ओ० के पास कोई डायरेक्शन गया और प्रमुख के डायरेक्शन से कुछ कंफ्लिक्ट हुआ तो प्रमुख को कोई हक नहीं है कि वह अपने डायरेक्शन को इनफोर्स करा सके। अगर आपको प्रमुख बना दिया गया तो आप मुखिया भी नहीं रहेंगे और न एम० एल० ए० ही रह सकते हैं। एक तो ऐसे ही पिछले कानूनों से जो मुखिया का महत्व रखा गया था वह आज तहसील वसूल करने के बाद जाता रहा और मुखिया बी० डी० ओ० के अन्दर चला गया। मैं समझता था कि आज वहां एम० एल० ए० का काम था कि अपने कंस्टिच्युएन्सी में डेवलपमेंट के काम को सुपरवाइज करे और उसमें प्रोत्साहन दे लेकिन इस कानून से एम० एल० ए० को यह सब हक डिनाई किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि प्रमुख के लायक अगर कोई हो सकता है तो वह विधान-सभा का सदस्य ही है और वही समूचे इलाके में काम कर सकता है और जिस खूबी से वह बी० डी० ओ० से डील कर सकता है उस खूबी से मुखिया डील नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि उसको इस काम से वंचित करना सर्वथा अन्याय है।

जिला परिषद् जो बनायी जा रही है यह भी वही काम करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी अभी कर रही है। सिर्फ इतनी ही ज्यादा बात की गयी है कि ६०-७० आदमियों का परिषद् बना दिया गया है। न कोई खास पावर दिया गया है और न और कोई बात है। वह सिर्फ ऐडभाइस देगी और जिस काम को एक आदमी करता था उसको अब चार-चार आदमी करेंगे, एक एम० एल० ए० होंगे, एक एम० एल० सी० होंगे, एक एम० पी० और एक मुखिया और प्रमुख होगा। जिला परिषद् का यही आपका नमूना है। पहले के जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या लोकल बोर्ड के चेयरमैन होते थे तो उनको कुछ पावर और रिस्पौंसिबिलिटी रहती थी लेकिन आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन-सी रिसपौंसिबिलिटी देने जा रहे हैं? उनको यहांतक हक नहीं है कि पंचायत समिति के लेटर पर दस्तखत करें, वह भी बी० डी० ओ० ही कर सकता है। लेकिन आपने इतना बड़ा नक्शा सामने रख दिया यह मेरी समझ में बात नहीं आती है कि आपका क्या उद्देश्य है। सचमुच अगर प्रजातंत्र शासन कायम करना चाहते हैं और विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं तो इस विधेयक को रद्दी के टोकरे में फेंक दीजिये। ड्राफ्टिंग भी जो विधेयक की हुयी है वह बहुत कंबरस है। आपने ग्राम पंचायत का एलेक्शन, प्रमुख और अध्यक्ष का एलेक्शन कर दिया है, एलेक्शनों की भरमार कर दी है लेकिन यह नहीं सोचा कि जो बेसिक चीज है वह कायम रहे। आज कोई सदस्य जब स्पीकर हो जाता है तो यह नहीं कहा जाता है कि कंस्टिच्युएंसी से रिजाइन करो लेकिन इसमें ऐसा कर दिया गया है कि मुखिया अगर प्रमुख हो जाता है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। मुखिया हटा दिया जायगा और वह न घर का रहेगा और न घाट का।

*श्री बैद्यनाथ प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, कुछ प्रगतिशील विधेयक ऐसे हैं जो

अन्य प्रदेशों में पहले लाये जा चुके हैं और उनमें यह विधेयक भी एक है। बिहार इसको लाने में सबसे पीछे रहा। इस विधेयक के आने के पहले लोगों को यह आशा थी कि एक ऐसा विधेयक आवेगा, जिसके द्वारा सचमुच विकेन्द्रीकरण होगा और ऐसे शासन का प्रादुर्भाव होगा जो प्रशासनिक बुराइयों से मुक्त होगा और उसके द्वारा वास्तव में जनता के हाथ में सत्ता जायगी। परन्तु इस विधेयक को पढ़ने के बाद सारी आशाओं पर पानी फिर गया। जिला परिषद् और प्रखंड समिति वही होंगी जो वर्तमान प्रखंड समिति या जिला विकास समिति है। इस तरह मैं देखता हूं कि old wine in new bottle के जैसा, यह सरकार का प्रयास है। आज दस वर्ष से प्रखंड विकास समिति है और उसकी जो पंचायत समिति है वह दुर्गुणों का अखाड़ा बन गयी है।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—मुखिया का तो एलेक्शन होगा।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद सिंह—मैंने एक संशोधन रखा था कि जब प्रखंड समिति को

ज्यादा-से-ज्यादा अधिकार देने जा रहे हैं तो क्या ही अच्छा होता कि पंचायत का चुनाव के बाद अधिकार बढ़ा दिया जाय लेकिन सरकार ने उस संशोधन को नहीं रखा और इमरजेंसी के नाम पर विधेयक में सारा अधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दे दिया। दूसरी बात है कि उन अधिकारों को कलक्टर के हाथ में सौंप दिया गया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं दूसरी तरफ इस विधेयक को देखने से पता चलता है कि विकेन्द्रीयकरण नहीं हो रहा है बल्कि केन्द्रीयकरण हो रहा है। पंचायत समिति और जिला परिषद् बहुत कमजोर हो रहे हैं। उनका आधार बहुत कमजोर है।

हमलोगों का विचार था कि विकास के ख्याल से इस अधिकार को जिला परिषद् और प्रखंड विकास समिति को देना चाहते पर यह नहीं माना गया। हमलोग प्रगतिशील बनाने के लिये बहुत से संशोधन इस सभा में पेश किये पर वे सब नामंजूर कर दिये गये, इसलिये मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, इस बिल के बारे में मैं कुछ कहने के के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं कि इसमें ऐसे क्लॉजेज हैं जिनसे हमारा विरोध है। इसमें बहुत से संशोधन दिये गये पर सरकार ने उनको नहीं माना। हम सरकार के सिद्धांत को मानते हैं फिर भी मुझे ऐसा मालूम होता है इसमें सरकार को बहुत अधिक अधिकार दे दिया गया है। क्लॉज ७८ में है—

Power of revision and review by State Government.

इस तरह से सारा अधिकार सरकार को आप दे देते हैं। यह उसी तरह की बात है जैसे एक समय सारे देवता लोगों को कहा गया कि कितने देर में भूमन्डल की परिक्रमा कर सकते हैं। सबलोग परिक्रमा करने लगे पर गणेश जी वहीं राम नाम लिख कर उसी की परिक्रमा करके सब से पहले पहुंच गये। यह ठीक उसी तरह है जिससे जितने भी अधिकार किसी को दिये गये हों सब पीछे पड़ जायेंगे और सरकार जो चाहेगी करेगी।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—आखिरी फैसला देने का अधिकार तो सरकार को रहना चाहिये।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—यदि कोई कुछ दरखास्त दे दे तो सारी चीजों की जांच करनी होगी जिसमें लाखों रूपये सरकार के खर्च होंगे और सारी चीज रद्द हो जायगी। सभापति महोदय, अभी भी ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटीज में असेम्बली के सदस्य हैं और जब वे रेकर्ड देखना चाहते हैं तो रेकर्ड मिल जाता है। मगर सरकार ने यह सोचा कि अपोजीशन के सदस्य जब चाहें कमिटीज में हमारा रेकर्ड देख लेते हैं, इसलिये इन्होंने इस बिल में ऐसा क्लॉज बनाया है जिससे समिति के सदस्य को रेकर्ड कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। वह क्लॉज ऐसा है कि बी० डी० ओ० या डी० डी० ओ० समझे कि कोई कागज सदस्य को नहीं दिखाना चाहिये तो वह इसे रोक देगा और प्रमुख या अध्यक्ष के ऑर्डर से करवा लेगा। एक तरफ समिति या परिषद प्रमुख या अध्यक्ष को चुनता है और दूसरी तरफ चुनने वाली बडी अगर कोई कागज देखना चाहे तो उसी संगठन का चुना हुआ आदमी उसे रोक देगा। आप विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं मगर काम में सारी सत्ता एक व्यक्ति पर निहित करते हैं।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—बी० डी० ओ० तो अपने आप नहीं रोक सकता उसको प्रमुख का ऑर्डर लेना पड़ेगा।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—ऑर्डर तो ठीक ही लेना पड़ेगा मगर जिसका ऑर्डर लेना है उसी आदमी को तो समिति चुनती है। अंग्रेजों के जमाने में जब लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने ईमानदारी के साथ स्वायत्त शासन का पावर चेयरमैन को दिया था और हेल्थ अफिसर, इंजीनियर वगैरह पर चेयरमैन का पूरा अधिकार रहता था। लेकिन इस बिल में आपने यह बतलाया है कि समिति और परिषद् में जितने कर्मचारी होंगे उन पर बी० डी० ओ० या डी० डी० ओ० का अधिकार रहेगा। इसका नतीजा यह होगा कि वहां दो सरकार बन जायेगी।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—इस बिल में बी० डी० ओ० का पावर भी तो डिफाइन किया गया है। इसी बिल में है कि बी० डी० ओ० के बारे में कलक्टर के पास हर फाइनेन्शियल ईयर में प्रमुख रिपोर्ट भेजेंगे।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—वह तो ठीक है लेकिन हर क्लॉज को आपने इस प्रकार से ड्राफ्ट किया है कि जिससे मालूम होता है कि आपका विश्वास सरकारी ऑफिशियल पर ज्यादा है बनिस्बत जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर। आप जानते हैं कि एलेक्शन से चुनकर आना कितना मुश्किल काम है। असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बर को चुनाव के संबंध में जितनी हैरानी का सामना करना पड़ता है उससे ज्यादा प्रमुख और अध्यक्ष को हैरानी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो इतनी मेहनत से इतनी बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करेगा ऐसे आदमी को हटाने के लिये आपने जो क्लॉज रखा है वह काबिलेतारीफ है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि यह सब हमारी कीर्त्ति है। स्टेट गवर्नमेंट भी वहां से उठकर अभी कह दे कि यह सब हमारी कीर्त्ति है। इसबिल के पीछे जो भावना है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी में हमलोगों का जो स्टेटस था, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पंचायत समिति में वह स्टेटस भी नहीं रहेगा। विकेन्द्रीयकरण के नाम पर आप केन्द्रीयकरण कर रहे हैं।

सभापति महोदय, गुजरात में इन कमिटियों की financial needs पूरा करने के लिये जो वहां की सरकार को सिफारिश की गयी थी उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं:—

Finances for the Three Tiers.—To meet the financial needs imposed by verious tasks proposed to be assigned to the popular institution the Committee suggests that the State Government should give grants to them to the extent of 100 per cent of land revenue."

यह तो वहां की बात हुई लेकिन हमारी सरकार रेवेन्यु से क्या देना चाहती है इसका कोई जिक्र नहीं है। यह तो इस तरह की समितियां होंगी जिसको न पैसा होगा और न अख्तियार। नाम के लिये शाहन्शाह बनेंगे। जहांगीर बादशाह बन जायेंगे लेकिन काम तो सब नूरजहां करेगी।

श्री नवल किशोर सिंह—सभापति महोदय, मुझे इस बात को बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में काफी दिलचस्पी ली और उनलोगों ने इस पर बहुत सोच विचार भी किया है। माननीय सदस्यों ने बताया है किस प्रकार लोगों ने ने पहले-पहल डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन की कल्पना की थी। किसतरह से गवर्नमेंट को मजबूर होकर करना पड़ा। मैं श्री जवाहरलाल नेहरु की तकरीर से कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं—

"The Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru while inaugurating the L. S. G. Ministers' Conference at Delhi on the 6th August, 1948 said that "Local Self-Government is, and must be, the basis of any true system of democracy. We have got rather into the habit of thinking of democracy at the top and not so much below Democracy at the top will not be a success unless it is built on the foundation from below."

यह मान्यता हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं थी बल्कि उस व्यक्ति की थी जिन्होंने आधी शताब्दी से हिन्दुस्तान का नेतृत्व किया है। जिसके फलस्वरूप इस देश को स्वराज्य मिला। और हम जिस कल्पना को साकार करना चाहते थे उसको साकार करने का मौका मिला। हमारा जो सविधान बना उसमें यह मान्यता दी गयी कि हम इस देश में वेलफेयर स्टेट रखना चाहते हैं। और वेलफेयर स्टेट की कल्पना को मूलरूप देने के लिये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम (सामुदायिक विकास योजना) का कार्यक्रम चालू करने की सबसे बड़ी आवश्यकता हुई। हम अपने जन-समाज में, ग्रामीण जीवन में, जो युगों से एक लीक पर चलते आ रहे थे और नये युग के संदेशों से प्रभावित नहीं हो पाते थे जिसके कारण हिन्दुस्तान बहुत पिछड़ा था, आज वह उथलपुथल पैदा करना चाहते हैं जिससे वे पुरानी लीक पर न रह जायं। हमें जरूरत है कि एक चौड़ी सड़क राष्ट्रीय जीवन के प्रवाह के लिये बनावें। वह काम संभव नहीं है जब तक कि साधारण जन में उत्साह और इनीशिएटिव, काम करने की इच्छा, सुन्दर जीवन की इच्छा और इसी तरह के तमाम बातों की इच्छा पैदा न हो।

सभापति महोदय, हमने यह फैसला किया है कि प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर गांव के जो नुमाइन्दे हैं और ग्रामीण प्रशासन के प्रतिनिधि हैं उनका सहयोग हो नहीं बल्कि उनका संपर्क बढ़ाया जाना चाहिये। इसलिये हमारे देश में ऐडमिनिस्ट्रेशन के थ्री टायर सिस्टम की कल्पना हुई जिससे प्रशासनिक कामों में, खास करके उन कामों में जिन्हें जनता से गहरा संबंध है, जनता से संबंध हो सके। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार पर जो यह आरोप लगाया है कि सरकार में फेथ की कमी है और सरकार हौल्टिंगली काम करना चाहती है यह ठीक नहीं है। सरकार का और उस पार्टी का जिसका मैं नुमाइंदा हूं और जिसकी सरकार है यह निश्चित विश्वास है कि हिन्दुस्तान के कल्याण के लिये तीन चीजें आवश्यक हैं: पंचायत राज, सहकारी समाज और सामुदायिक विकास। इन्हीं तीन कल्पनाओं में नये भारत की कल्पनायें छिपी हुई हैं। इसलिये कोई मजबूर होने या हौल्टिंगली स्टेप उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि देश में शायद यही एक ऐसा सूबा है जिसमें अबतक इस तरह का कानून बना नहीं है इसलिये हमने किस तरह शीघ्रतापूर्वक इस विधेयक को लाया है यह भी सदस्यों को अच्छी तरह मालूम है। कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा भाव प्रगट किया है कि आपने इसमें ऐसी धारायें रखी हैं जिनसे विरोधी दल के लोगों के साथ आप चालबाजी में समर्थ होंगे। सभापतिजी, मुझे दुख है कि जब हम सचमुच बिहार के ग्रामीणों को नई दुनिया देने जा रहे हैं तो हमारा यह क्रांतिकारी कदम बुरा लग रहा है और ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि इस विधेयक के पास होने और लागू होने के बाद पहले पहल विरोधी दल वालों को काम करने का मौका मिलेगा। हमारे देश में विरोधी दल को यह शिकायत रही है कि जितने कंस्ट्रक्टिव काम हैं उन्हें सरकार ने अपने हाथ में रख लिया है और अपने ऑफिसरों के मारफत या उन संस्थाओं के मारफत जिनपर सरकार का अधिकार है। आज पहली बार स्वराज के बाद विरोधी दल को यह मौका मिल रहा है कि वे इन चीजों में हिस्सा ले सकें।

सभापतिजी, बार-बार इसका जिक्र किया गया है और भाषणों से मुझे ऐसा लगा है कि माननीय सदस्य ऐसी संस्था की कल्पना करते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद् के रूप में जो सॉवरेन बॉडी हो। मेरे दिमाग में इसके बारे में कोई उलझन नहीं है कि पंचायत समितियां या जिला परिषद् सॉवरेन बॉडी होने नहीं जा रहे हैं। लेकिन यह जरूर है कि मेरे ख्याल में सॉवरेन बॉडी हिन्दुस्तान में एक ही है और वह है भारत की लोक सभा। जिस अर्थ में हम सॉवरेन बॉडी मानते हैं उसमें शायद यह विधान सभा भी नहीं है। ठीक इसी तरह से जिला परिषद् और पंचायत समिति का काम है।

मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि क्या वे चाहते हैं कि यहां से अधिकार और धन से भरी हुई संस्था गांव में भेज दी जाय जिसमें नकली ढंग से कानून बनाने का अधिकार हो या ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं जो स्वयं काम करे, स्वयं विकास करने के रास्ते को अख्तियार करे अपनी शक्ति से आगे बढ़े। अगर आप समझते हैं कि उन्हें बाहर से शान्ति पहुंचाई जाय तो मैं इसके विपरीत मत रखता हूं। मैं नहीं समझता कि ऐसा करके स्वायत्त शासन का विकास हो सकता है। स्वशासन संस्थाओं को अपने अधिकारों का स्वयं निर्माण करना है।

कुछ सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है कि को-ऑपरेटिव जैसी संस्थाओं को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है लेकिन मैं सहकारिता का सेवक होते हुए भी कहना चाहता हूं कि सहकारिता भी और ऐक्टीवीटिज की तरह पर एक इकौनांमी है, सारी इकौनौंमी सहकारिता में ही नहीं है। मैं समझता हूं कि जितना प्रतिनिधित्व सहकारिता को मिला है वह उचित है।

इस बात का बराबर जिक्र किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अधिकार रखा और बात भी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जरूर कुछ अधिकारों को रखा है लेकिन जब माननीय सदस्य इस बात को ठंडे दिल से सोचेंगे तो पायेंगे कि जब इतने बड़े पैमाने पर सूबे में इस चीज को ला रहे हैं तो उसमें कुछ अधिकार को रखना तो आवश्यक है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये अधिकार बहुत स्पेअरिंगली यूज किए जायंगे। जो उद्देश्य है उसमें किसी तरह की बाधा आनेवाली होगी तभी इसे यूज में लाया जायगा इसलिये सरकार इसे नहीं रख रही है कि छोटी-छोटी बातों में इन्टरवोन करे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अंग्रेजों ने बनाया था उसको आप पंचायत समिति और जिला परिषद् में बदलने जा रहे हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से बहुत कम अधिकार पंचायत समिति और जिला परिषद् को देने जा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को ठीक से पढ़ा ही नहीं। उन्हें मालूम होना चाहिये कि जिस वक्त अंग्रेजों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्माण किया था उस वक्त कुछ स्कूल खोलने का, दो-चार स ़कों के बनाने का, दो चार फाटक बनाने का अधिकार उसे दिया गया था। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि १५ वर्ष पहले जिला परिषदों के जिम्मे कृषि के विकास का, सिंचाई के विकास का, ग्रामोद्योग के विकास के सिलसिले में कुछ करने का अधिकार था? १५ साल पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को आठ-दस लाख रुपया खर्च करने का अधिकार था जिससे ज्यादा आज हम पंचायत समिति को खर्च करने का पावर दे रहे हैं।

एक सदस्य ने बहुत जोर देते हुए कहा है कि आप पंचायत समिति को क्या साधन देने जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि माननीय सदस्यों के जिम्मे बहुत से काम हैं फिर भी वे इस विधेयक में इनकम का लिस्ट है उसे वे पढ़ लें। वे किसी भी पंचायत समिति को ले लें, हर पंचायत समिति में मैं उन्हें जाने नहीं कह रहा हूं, और देखें कि कितनी आमदनी होनेवाली है। मैं भी अभी यही सोच रहा था कि अगर कोई सदस्य पूछ दें तो क्या हिसाब होगा तो अपने क्षेत्र के पंचायत समिति का हिसाब जोड़ कर देखा तो पाया कि आमदनी के लिये बहुत संतोषजनक जवाब है।

एक बात और कही गयी जिससे मुझे कुछ घबराहट हुई। एक साहित्यक मित्र ने कहा था कि बात करने में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मांगते हैं मुकुट और पहुंच जाते हैं जूते के फीते तक। मैं पंचायत समिति को और जिला परिषद् को इतनी बड़ी-बड़ी चीजें दे रहा हूं अब आप क्या खोजते हैं।

आप कृपा करके छोटी-छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिये। जिला परिषद् और पंचायत समिति का प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था में सफल होने दीजिये। आप यह नहीं देखें कि दस्तखत कौन करता है, किरानी और चपरासी कौन बहाल करता है। आप छोटी-छोटी बातों में फंस जायंगे तो, बड़ी चीजें भूल जायंगे। मैं सभी सदस्यों का बहुत कृतज्ञ हूं क्योंकि इस बिल में सभी सदस्यों ने दिलचस्पी ली है और सहयोग दिया है जिससे यह विधेयक शीघ्र पास हो जाय।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)---प्रश्न यह है कि :

बिहार पंचायत समितिज ऐन्ड जिला परिषद्स बिल, १९६१, सभा द्वारा यथासंशोधित स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा बृहस्पतिवार, दिनांक ३० नवम्बर, १९६१ के ११ बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गई।

पटना :
तिथि २९ नवम्बर १९६१।

इनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।